[2022] 12 एस. सी. आर 797

/

द कमिश्नर, ट्रेड टैक्स, यू. पी. बनाम

मेसर्स रेडिको खेतान लिमिटेड।

(सिविल अपील सं. 2009 की 6396-6397) सितंबर 19,2022

/

[एम**.** आर**.** शाह और कृष्णा मुरारी**,** जे**.** जे**.]**

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 -धारा 34-जब लागू हो-आयोजितःधारा 34 केवल उस मामले में लागू होगी जहां मूल निर्धारिती से संबंधित अचल संपत्ति का हस्तांतरण होता है, अधिनियम के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, ऐसे किसी भी कर या अन्य बकाया को धोखा देने के इरादे से-धारा 34 के परंतुक के अनुसार।34, एस में कुछ भी नहीं।34 अंतरिती के सद्भावना और विचार के अधिकारों को बाधित करेगा-वर्तमान मामले अंतर्गत , प्रत्यर्थी-खरीदार के पक्ष अंतर्गत माल, संयंत्र और मशीनरी (अचल संपत्ति के रूप अंतर्गत माना जा सकता है) का हस्तांतरण विचार के लिए आई. डी. 1 और आई. डी. 2 पर किया गया था, जबकि मूल्यांकन कार्यवाही (मूल्यांकन वर्षों के लिए आई. डी. 5, जो विवाद अंतर्गत मूल निर्धारिती द्वारा देय और देय कर की राशि थी) वर्ष 1984 अंतर्गत समाप्त हो गई थी और मूल्यांकन वर्ष 1988 अंतर्गत फिर से खोला गया था-साथ ही, मूल निर्धारिती के खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र आई. डी. 4 पर जारी किया गया था और खरीदार के खिलाफ वसूली के लिए समर्थन आई. डी. 3 पर था-इस प्रकार, मूल्यांकन के समय।34 लागू नहीं होगा-इसलिए, खरीदार के खिलाफ मूल निर्धारिती द्वारा देय और देय राशि की वसूली के लिए समर्थन जो यू/एस के तहत शक्तियों का प्रयोग कर रहा था।34 व्यापार कर न्यायाधिकरण द्वारा उचित रूप से खारिज कर दिया गया था-न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि करने वाले संशोधन आवेदनों को खारिज करने में उच्च न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई।

/

/

/

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2009 की सिविल अपील Nos.6396-6397।

/

व्यापार कर संशोधन Nos.664 और 1999 के 667 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के दिनांक 16.12.2008 के निर्णय और आदेश से।

आर. के. रायजादा, वरिष्ठ अधिवक्ता, भक्ति वर्धन सिंह, विकास बंसल, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

/

797

798

/

[2022] 12 एस सी आर।

/

ध्रुव अग्रवाल, श्वेतांक शैलकवाल, निशित अग्रवाल, शुभम शर्मा, सुश्री कनिष्क मित्तल, विपिन कुमार जय, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा व्यापार कर संशोधन संख्या 664/1999 और 667/1999 में पारित किए गए आक्षेपित निर्णयों और आदेशों से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने राजस्व द्वारा पसंद किए गए उक्त संशोधन आवेदनों को खारिज कर दिया और व्यापार कर न्यायाधिकरण (जिसे इसके बाद न्यायाधिकरण के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि की है, जिसमें अपील संख्या 259/97 (80-81) और 260/97 (81-82) को अनुमति दी गई है, जिसमें मैसर्स शॉ स्कॉट डिस्टिलरी (पी) लिमिटेड (जिसे इसके बाद मूल निर्धारिती के रूप में संदर्भित किया गया है) के नाम से जारी वसूली प्रमाण पत्र है और मैसर्स रेड के खिलाफ समर्थन किया गया है।2.वर्तमान अपीलों के तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार हैंः-

/

/

/

2.1 कि मूल निर्धारिती-मेसर्स शॉ स्कॉट डिस्टिलरी (पी) लिमिटेड, रामपुर पर रु। 11,28,877-और रु। 53,89,035-क्रमशः वर्ष 1980-81 और 1981-82 के लिए व्यापार कर।मूल निर्धारिती के खिलाफ वसूली की कार्यवाही शुरू की गई थी।वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया था।मूल निर्धारिती से संबंधित संयंत्र, मशीनरी और सामान को उत्तरदाता द्वारा 12.12.1985 और 01.01.1986 पर खरीदा गया था। 12,12,000-।निर्धारण अधिकारी (एओ) ने पाया कि उपरोक्त संपत्ति का हस्तांतरण मूल निर्धारिती द्वारा उस समय किया गया था जब मूल्यांकन की कार्यवाही लंबित थी

और निर्धारण अधिकारी ने पाया कि खरीदार के पक्ष में उक्त लेनदेन राजस्व को धोखा देने के उद्देश्य से थे।इसलिए, यू. पी. व्यापार कर अधिनियम (जिसे इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 34 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मूल निर्धारिती के नाम से जारी वसूली प्रमाण पत्र का निर्धारण अधिकारी द्वारा समर्थन किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उपरोक्त हस्तांतरण को शून्य मानते हुए खरीदार से उसी तरह राशि की वसूली की जाएगी जैसे मूल निर्धारिती से की जानी थी।

/

/

/

2.2 खरीदार-इसमें प्रतिवादी-मेसर्स रामपुर डिस्टिलरी एंड केमिकल्स लिमिटेड (बाद में इसका नाम बदलकर मेसर्स रेडिको खेतान लिमिटेड कर दिया गया)

/

799

द कमिश्नर, ट्रेड टैक्स, यू. पी. बनाममेसर्स रेडिको खेतान लिमिटेड. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

/

प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष इसके खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र के समर्थन को चुनौती दी। प्रथम अपीलीय प्राधिकरण ने खरीदार द्वारा की गई अपीलों को खारिज कर दिया।प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के आदेश से व्यथित महसूस करते हुए, खरीदार ने इसे व्यापार कर न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी।न्यायाधिकरण ने उक्त अपीलों को अनुज्ञात कर लिया और यह अभिनिर्धारित किया कि खरीदार के खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र का समर्थन विधि ी रूप से गलत है, यह देखते हुए कि (i) अधिनियम के अंतर्गत कोई मूल्यांकन कार्यवाही/कार्यवाही लंबित नहीं थी जब खरीदार-मेसर्स रामपुर डिस्टिलरी एंड केमिकल्स लिमिटेड ने मूल निर्धारिती से सामान, संयंत्र और मशीनरी खरीदी थी और (ii) मूल निर्धारिती और खरीदार के बीच माल, संयंत्र और मशीनरी की बिक्री के लेनदेन को कर या किसी अन्य बकाया को धोखा देने के इरादे से नहीं कहा जा सकता है और (iii) कि खरीदार वास्तविक खरीदार था।

/

/

2.3 व्यापार कर न्यायाधिकरण द्वारा पारित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित महसूस करते हुए, राजस्व ने उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदनों को प्राथमिकता दी।आक्षेपित निर्णयों और आदेशों द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त पुनरीक्षण आवेदनों को खारिज कर दिया है जिसने वर्तमान अपीलों को जन्म दिया है।

/

3. हमने संबंधित पक्षों की ओर से विद्वान वकील को विस्तार से उपस्थित होते हुए सुना है।

4. शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि विवाद मूल निर्धारिती-मेसर्स शॉ स्कॉट डिस्टिलरी (पी) लिमिटेड द्वारा निर्धारण वर्षों 1980-81 के लिए देय और देय कर की राशि के संबंध में है।यह रिकॉर्ड में आया है कि मूल्यांकन कार्यवाही वर्ष 1984 में संपन्न हुई थी। मूल्यांकन को वर्ष 1988 में फिर से खोला गया था।मूल निर्धारिती-मेसर्स शॉ स्कॉट डिस्टिलरी (पी) लिमिटेड से संबंधित सामान, संयंत्र और मशीनरी का हस्तांतरण 12.12.1986 और 01.01.1986 पर किया गया था। 12,12,000-जो पुनर्मूल्यांकन कार्यवाहियों की शुरुआत से बहुत पहले थे।यह विवाद में नहीं है कि मूल निर्धारिती के खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र 15.04.1990 पर जारी किया गया था और खरीदार के खिलाफ वसूली के लिए समर्थन 26.03.1993 पर था।यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि रुपये की बिक्री पर विचार। 12,12,000-राजस्व द्वारा विवादित नहीं किया गया है।अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खरीदार के खिलाफ मूल निर्धारिती द्वारा देय और देय राशि की वसूली का समर्थन करने की मांग की जाती है। अधिनियम की धारा 34 निम्नानुसार हैः- “(1) जहां, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, कोई भी व्यक्ति जो किसी भी कर या किसी भी बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है,

/

/

/

/

ऐसे किसी कर या अन्य देय राशि को धोखा देने के इरादे से किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में उसकी किसी अचल संपत्ति पर प्रभार या हस्तांतरण, ऐसा शुल्क या हस्तांतरण उक्त कार्यवाही के पूरा होने के परिणामस्वरूप ऐसे व्यक्ति द्वारा देय किसी भी कर या अन्य देय राशि के संबंध में किसी भी दावे के खिलाफ शून्य होगा।

/

बशर्ते कि इस धारा की कोई भी बात अंतरिती के सद्भावना और विचार के अधिकारों को बाधित नहीं करेगी।

(2) उप-धारा (1) की कोई बात बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य वित्तीय संस्थान में परिभाषित किसी बैंकिंग कंपनी के पक्ष में शुल्क या हस्तांतरण पर लागू नहीं होगी। "

/

5. अधिनियम की धारा 34 केवल उस मामले में लागू होगी जहां मूल निर्धारिती से संबंधित अचल संपत्ति का हस्तांतरण होता है, अधिनियम के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, ऐसे किसी भी कर या अन्य बकाया को धोखा देने के इरादे से।धारा 34 के परंतुक के अनुसार, धारा 34 में कुछ भी सद्भावना और विचार के लिए हस्तांतरणकर्ता के अधिकारों को बाधित नहीं करेगा। इस प्रकार, धारा 34 की शक्ति का प्रयोग केवल उस मामले में किया जा सकता है जहां मूल निर्धारिती से संबंधित अचल संपत्ति का हस्तांतरण अधिनियम के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान किया जाता है और ऐसा हस्तांतरण ऐसे किसी भी कर और अन्य बकाया को धोखा देने के इरादे से पाया जाता है।

/

/

वर्तमान मामले में, माल, संयंत्र और मशीनरी (जिसे अचल संपत्ति के रूप में माना जा सकता है) का हस्तांतरण 12.12.1985 और 01.01.1986 पर किया गया था। 12,12,000-।उस दिन, कोई मूल्यांकन कार्यवाही और/या अधिनियम और/या वसूली कार्यवाही के अंतर्गत कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी।जैसा कि ऊपर देखा गया है, मूल्यांकन कार्यवाही वर्ष 1984 में संपन्न हुई थी और इसे वर्ष 1988 में फिर से खोला गया था।वसूली प्रमाण पत्र मूल निर्धारिती के खिलाफ 15.04.1990 पर जारी किया गया था।इस प्रकार, निर्धारिती की अचल संपत्ति के हस्तांतरण के समय, जो मूल्य/विचार के लिए थी, अधिनियम के अंतर्गत कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी, अधिनियम की धारा 34 लागू नहीं होगी।इन परिस्थितियों अंतर्गत , अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने वाले खरीदार के खिलाफ दिनांक 26.03.1993 का समर्थन न्यायाधिकरण द्वारा उचित रूप से रद्द कर दिया गया है।पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह देखा गया है कि ऊपर वर्णित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अधिनियम की धारा 34 बिल्कुल भी लागू नहीं होगी।

/

/

/

/

6. इन परिस्थितियों अंतर्गत , उच्च न्यायालय द्वारा खरीदार के खिलाफ मूल निर्धारिती के पक्ष अंतर्गत जारी वसूली प्रमाण पत्र के समर्थन अपास्त करते हुए ते हुए व्यापार कर न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि करने वाले संशोधन आवेदनों को खारिज करने अंतर्गत कोई त्रुटि नहीं की गई है।

7. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, दोनों अपील विफल हो जाती हैं और वे खारिज किए जाने के योग्य हैं और तदनुसार खारिज कर दिए जाते हैं।व्यय सम्बन्धी कोई आदेश नहीं।

/

दिव्या पांडे

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

(सहायकः दीपक पंवार, एलसीआरए)

/

/

/

/

/

/